न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या-50/2020
अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3
सरकार
बनाम
सूरज साह, पे0-मोहन साह, सा0-हसनपुर, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
10.10.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 335/डी0सी0बी0, दिनांक 01.10.2020) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,अररिया के प्रस्ताव (पत्रांक 2765/उपा0, दिनांक 28.09.2020) के आधार पर सूरज साह, पे0-मोहन साह, सा0-हसनपुर, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई। सूरज साह का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :- 1. रानीगंज थाना कांड सं0-459/17, दिनांक 22.12.2017, धारा-25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम। 2. रानीगंज थाना कांड सं0-349/17, दिनांक-23.09.2017, धारा-392 भा0द0वि0। अररिया जिला में बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी सूरज साह, पे0-मोहन साह, सा0-हसनपुर, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है। उक्त के आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक-03.10.2020 द्वारा आरोपी/अपराधकर्मी सुरज साह को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी-सुरज साह की ओर से वकालतनामा के साथ हाजिरी एवं कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। न्यायालय में उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक, अररिया एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान लोक अभियोजक, अररिया का मुख्य कथन है कि विपक्षी के विरूद्ध दर्ज कांडो की प्रकृति गंभीर है। विपक्षी आदतन अपराधी है। विपक्षी द्वारा रानीगंज थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया है। विपक्षी द्वारा आगामी बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 में स्थानीय स्तर पर धांधली एवं विधि व्यवस्था उत्पन्न करने तथा विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में हुड़दंग मचाने की पूर्ण संभावना है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से विपक्षी के विरूद्ध प्राप्त प्रस्ताव सही है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत जिला बदर करने का आदेश पारित किया जाय। विपक्षी का मुख्य कथन है कि यह वाद विपक्षी के विरूद्ध निर्वाह योग्य नहीं है। विपक्षी कानून को मानने वाला समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विपक्षी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक इतिहास नहीं है। रानीगंज थाना कांड सं0-459/17 एवं रानीगंज थाना कांड सं0-349/17 में विपक्षी माननीय सक्षम न्यायालय से अपना जमानत करवा चुका है एवं नियमित रूप से उक्त वाद में सदेह हाजिर होकर पैरवी कर रहा है। विपक्षी के विरूद्ध दर्ज उक्त दोनों काण्ड सरासर असत्य, निराधार व बेबुनियाद है। विपक्षी की ओर से अपने समाज में किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ है और आम नागरिकों के बीच विपक्षी के द्वारा अशांति एवं भय का माहौल सृजन करने का कथन सरासर असत्य है। सच्चाई तो यह है कि विपक्षी का अपने समाज में अच्छा कदर है एवं आम जनता के बीच अहम पहचान रखता है। विपक्षी यह वादा करता है कि अग्रिम विधान सभा निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार का अशांति आम नागरिकों के बीच नहीं फैलायेंगे और किसी भी प्रकार का भय का माहौल विपक्षी की ओर से नहीं होगा। विपक्षी शांतिपूर्वक अपने परिवार में रहकर व्यापार कर अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। न्यायालय के द्वारा जब भी विपक्षी को हाजिर होने हेतु सूचना प्राप्त होगा, सदेह न्यायालय में हाजिर हो जाएगा। न्यायालय के	

निर्देशित हर पहलुओं का पालन विपक्षी विधिवत् करेगा। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा को स्वीकार किया जाय एवं अन्य दायित्वों से मुक्त किया जाय।

उभय पक्ष के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार सी0एच0, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निरुद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि **सुरज साह दिनांक-12.10.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 07.11.2020 के पूर्वाह्न तक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार, तथा शनिवार) अररिया थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे** तथा **थानाध्यक्ष, रानीगंज** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही लिखित में यह भी बतायेंगे कि मतदान की तिथि को कितने बजे किस रास्ते से घर से मतदान केन्द्र तक जायेंगे एवं किस रास्ते से मतदान केन्द्र से घर आयेंगे।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2127 /विधि, दिनांक 14.10.2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, अररिया एवं थानाध्यक्ष, रानीगंज को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2127 /विधि, दिनांक 14.10.2020

प्रतिलिपि : श्री सुरज साह, पे0-मोहन साह, सा0-हसनपुर, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, अररिया (बिहार)